

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

16.6.22

अज अदालत

(नरेश सोनी)
सहायक क्लर्क
(SDO) बालोतरा

बमुकाम

मुकेश कुमार

बनाम

डी. प्र. शर्मा व अन्य

किस्म मुकदमा

43 80 रेफरि हुकमी नं.

37

सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/6/22	<p>बादी के अंतर्गत 'उशासन गंगो' के संग कर्मिणात फौजो-रूप खिचिर महेल के उपरिष्ठर दोहर बाड-पुत्र प्रेश कर निवेदन किया गया कि मीजा अखाडा के ख.नं. 2142/1412 रकबा 14-17 बीघा भूमि की तस्मीन कर दी गई है, गांधी का कस्बा उन्निवाडी के कस्बा-बाडा में कर दी गई है। कर तस्मीन उकस्ती करने का निवेदन किया गया।</p> <p>उन्निवाडी गांव रूपेण द्वारा जो किराला के पकिर भावना के प्रेश दोहर ईककाली जावकदाव प्रेश कर निवेदन किया गया कि बादी के कर ख.नं.</p>	

(नरेश सोनी)
सहायक क्लर्क
(SDO) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही पथ इतिशियल्य जज

तारीख
हुक्म

2142/1412 की तरमीम प्रतिकारी गण के

काम - काब्र की मुक्ति के की जाना

कराकर तरमीम हुकलती करने का

निर्देशन किया गया

प्रहरीलदार फयफररा, उप प्रहरीलदार

जसेल, इ.ल.र जसेल, पखारी हलका असाड़ा,

के काब्र जाल्य ख.नं. 2142/1412 व

2143/1412 की तरमीम ठक दूसरे के

करने - काब्र के विपरित होने से

हुकलती करने की अनुज्ञा की है

उक्त पर की सधमि से वाडी के

वाड के स्वीकार कर मोग असाड़ा

के क्षेत्र ख.नं. 2142/1412 व 2143/1412

की तरमीम मों के पर उक्त परकारा

के माफिक करने काब्र अनुज्ञा हुकलती

किये जाने हेतु प्रहरीलदार फयफररा के

निर्देशन किया जाता है

(नेरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाजोतरा

जिम्मे काब्र दि. 16.06.2022 के मजमें बाह

शिफर जसेल के सुनाप गया

(नेरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाजोतरा